न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1148

1. सुभाष पुत्र उदा, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी हमीरवास बजावा (रावतका) तहसील व जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत विशनपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति झुन्झुनूं।
3. ग्राम सेवक ग्राम पोस्ट विशनपुरा पंचायत समिति झुन्झुनूं।
4. पार्वती पत्नी उम्मेद,
5. मंजू देवी पुत्री उम्मेद,
6. विजय पुत्र उम्मेद,
7. संजीव कुमार पुत्र उम्मेद,

समस्त जाति जाट, निवासीगण हमीरवास बजावा (रावतका) तहसील व जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 56/2021 निर्णय दिनांक 13.12.2021 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मुकाम बिशनपुरा में रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री रोहिताश्व काजला, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–10.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 13.12.2021 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 14.08.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मुकाम बिशनपुरा में कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया। जिसमें पटवार मण्डल बिशनपुरा के राजस्व ग्राम हमीरवास बजावा का प्रचलित रास्ता जो खसरा नम्बर 459/251, 460/251, 255, 256, 274, 273, 452/271, 453/271, 454/271, 271, 281, 283, 285, 479/285, 462/285, 286, 291 में स्थित है। यह रास्ता ग्राम दोरादास से बडागॉव को जाता है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.3

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 09.12.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्शा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2021 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुभाष पुत्र उदा द्वारा यह अपील प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 13.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि चुनौतिग्रस्त निर्णय व आदेश दिनांक 13.12.2021 विधि विरूद्ध एवं विरूद्ध पत्रावली होने के कारण अपास्त होने योग्य है। चुनौतिग्रस्त आदेश विधि के सुविख्यात नियमों एवं सिद्धान्तों की अनदेखी करके पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। ग्राम हमीरवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनूं में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 522/255 रकबा 0.0800 है0, 523/255 रकबा 2.6700 हैक्टयर मूल खसरा नम्बर 255 रकबा 2.7500 हैक्टयर के हिस्सा 1/2 का खातेदार काबिज काश्तकार अपीलांट व हिस्सा 1/2 के खातेदार काबिज काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 है। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 को इनके पति/पिता उनकी मृत्यु दिनांक 07.09.2021 के बाद जरिये बिरासती नामान्तकरण प्राप्त हुआ है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 के खेत मूल खसरा नम्बर 255 एवं रकबा 2.7500 हैक्टयर में से होकर कथित रास्ता प्रचलित नही रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने प्रचलित रास्ता अपीलांट के उक्त खेत खसरा नम्बर 255 में से होकर नही रहा है तथा अपीलांट न्यायालय ने अधीनस्थ व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 के खेत में से होकर प्रचलित रास्ता बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आदेश पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रशासन गाँवों के संग अभियान के दौरान रास्ता सर्वे हेतु रास्तों की सूची की रिपोर्ट में अंकनानुसार पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 05.12.2021 को तैयार की जिस पर दिनांक 06.12.2021 को आई.एल.आर. ने हस्ताक्षर किये तथा तहसीलदार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हस्ताक्षर अंकित पर कोई तिथि अंकित नही है। उक्त सर्वे की रिपोर्ट में क्र.स. 03 पर उम्मेद पुत्र उदा का हिस्सा 1/2 की भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 2.71 हैक्टयर अंकित कर रखी है। जबकि भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 2.7500 हैक्टयर के हिस्सा 1/2 भाग का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार अपीलांट है जिसका नाम उक्त सूची में अंकित नही किया गया। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट को कोई नोटिस सुनवाई हेतु जारी नही किया। रास्ता सर्वे रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई इसलिए आदेश अपास्त होने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय व आदेश दिनांक 13.12.2021 मृत खातेदार उम्मेद के विरूद्व पारित किया हुआ। खातेदार उम्मेद का देहान्त दिनांक 07.09.2021 को फौत हो चुका था तथा उसकी मृत्यु के बाद रास्ता सर्वे दिनांक 05.12.2021 निर्णय व आदेश दिनांक 13.12.2021 पारित किये गये है तथा मृत खातेदार उम्मेद के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 को भी कोई सूचना नही दी गई इसलिए चुनौतिग्रस्त निर्णय व आदेश अपास्त होने योग्य है।

अपीलांट को चुनौतिग्रस्त निर्णय व आदेश दिनांक 13.12.2021 की कोई जानकारी नही थी तथा दिनांक 12.06.2024 को रेस्पोडेन्ट तहसीलदार आई.एल.आर. को उक्त आदेश दिनांक 13.12.2021 को पारित दिनांक 13.08.2024 तक भिजवायें एवं नरेगा का कार्य कर रास्ता दुरूस्ती किया जा रहा है। सरपंच ग्राम पोस्ट बिशनपुरा में खसरा नम्बर 255 के खातेदार द्वारा अतिक्रमण होना बताया है इसलिए टीम गठित कर ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाये जबकि खातेदार अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि में टंकी व पशुओं के पीने के पानी की खेल में पूर्व से बना रखी थी तथा कोई कथित रास्ता में नही थी तथा न अतिक्रमण था तथा इसके बावजूद अपीलांट के खेत में अपीलांट की टंकी व खेल को तोड़ दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब कथित रास्ता होता तो नरेगा का कार्य कथित रास्ता के दोनों और भूमि में कार्य किया जाता जबकि उक्त अवैध आदेश की आड़ में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 की भूमि व सम्पदा को गलत रूप से नुकसान पहुंचाया इसलिए निर्णय व आदेश मनमाना है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 255 में से होकर जबरन रास्ता कायम करने टंकी व खेल को दिनांक 13.06.2024 को नष्ट करने पर अपीलांट ने दिनांक 22.07.2024 को जमाबंदी की नकल तथा दिनांक 23.07.2024 को नकल का आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 24.07.2024 को प्राप्त हुई तब चुनौतिग्रस्त निर्णय व आदेश की पहली जानकारी हुई तथा अपील प्रस्तुत की जा रही है जो अंदर मियाद है। फिर भी दफा 05 मियाद अधिनियम का अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था जबकि अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 255 में से होकर रास्ता काटने का आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांट पीड़ित है तथा अपीलांट का हित निहित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 13.12.2021 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 13.12.2021, प्रकरण संख्या 56/2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.06.2024 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मुकाम बिशनपुरा में कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया तथा रिपोर्ट पटवार मण्डल बिशनपुरा के अनुसार राजस्व ग्राम हमीरवास बजावा का प्रचलित रास्ता जो खसरा नम्बर 459/251, 460/251, 255, 256, 274, 273, 452/271, 453/271, 454/271, 271, 281, 283, 285, 479/285, 462/285, 286, 291 में स्थित है। यह रास्ता ग्राम दोरादास से बडागॉव को जाता है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गयी।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3 (17) राज-6/ 2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 09.12.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्शा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनूं को प्रेषित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2021 पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर